

(66)

न्यायालय ब्रौमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल वालियर सक्रिट कॉर्टेवा,

जिलारावा

क्रमांक R. 5240-दि/115

1- पिठाराल पर्सह पिता रामाय सिंह उम्र 80 हाल पेशा खेती,

2- मुन्नीलाल चिक्क बुताकुलाल सिंह उम्र 45 वर्ष,

3- इयामबहादुरसिंह

4- रामनरेश सिंह

| सभी कपिता बाबूलाल सिंह निवासीग्राम नौदिया

5- शंकर छिल

| तहसील चिरगीजिला सिराल ५०५०

6- शिवशंकर सिंह

| ----- आवेदका पा किराकारण

आवेदकगांवी औटोटे  
गांवी रामानन्दपुरी १५  
दायरा कोटा १७-१२-१५  
17/12/15 राजन ५५५०

विरुद्ध

गुरकिराकार

जिलानी अन्तर्गत धारा ५० मध्य ५० भूराजस्व

संख्या सन १९५९ विरुद्ध आदेश ब्रौमान् आर

अर कमि रीवा न्यायालय के अमोल घरणा १८३

अमोल १५-१६मार्चआदेशका २७-११-१५

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इसकार है कि ग्राम पंचायत

नौदिया जनपद पंचायत चिरगी में पूसाव पर पर मूलमि ६२२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0-R.5240-II/15

जिला-सिंगरौली

मिठाईलाल सिंह/ शासन

(1)	(2)	(3)
20.07.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाद. हो।</p>	 <p>संदर्भ</p>